न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 536—दो/12 विरूद्ध आदेश, दिनाक 9—1—2012 पारित द्वारा कलेक्टर पन्ना के प्रकरण कमांक 4/पुनर्विलोकन/11—12.

श्रीमती इन्द्राकुमारी पत्नी श्री लोकेन्द्र सिंह
निवासी राजमंदिर पैलेस पन्ना तहसील व
जिला पन्ना म0 प्र0 द्वारा मुख्त्यार खास
श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह
निवासी राजमंदिर पैलेस पन्ना म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, पन्ना जिला पन्ना म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2-3-16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 536—दो/12 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर पन्ना के प्रकरण कमांक 4/पुनर्विलोकन/11—12 में पारित आदेश दिनांक 9—1—2012 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । श्रीकांत दीक्षित अध्यक्ष भास्कर जनविकास स्वास्थ्य एवं शिक्षा विकास समिति पन्ना के द्वारा दिनांक 9—7—10 को इस आशय का

शिकायती आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पन्ना की भूमि खसरा नंबर 1518, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1620 वर्ष 1955–56 में राजस्व अभिलेख में महेन्द्र महाराजा यादवेन्द्र सिंह जू देव के नाम दर्ज थी, सन 1963–64 में महाराजा नरेन्द्र सिंह जू देव के नाम दर्ज हो गयी तथा वर्ष 1970–71 में उपरोक्त आराजी श्रीमती इन्द्रा कुमारी के नाम इसलिये दर्ज कराई गई ताकि भूमि को सीलिंग में जाने से रोका जा सके । कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर प्रकरण कमांक 02/निगरानी/09–10 दर्ज किया एवं प्रकरण में आदेश दिनांक 22–2–11 द्वारा आवेदिका श्रीमती इन्द्रा कुमारी पति लोकेन्द्र सिंह के नाम विधि विरूद्ध की गई प्रविष्टि को निरस्त किया एवं अनुविभागीय अधिकारी पन्ना को आदेशित किया कि प्रकरण की प्रश्नगत विवादित भूमियों एवं खसरा नंबर 1620 रकबा 3.582 हैक्टेयर के संबंध में रियासतों के संविलियन के समय की स्थिति तथा सीलिंग एक्ट के अंतर्गत अभिलेखों की जांच कर गुणदोष के आधार पर तीन माह के अंदर विधिसम्मत आदेश पारित करें । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा कलेक्टर के समक्ष पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया । कलेक्टर द्वारा अपने प्रकरण कमांक 04/पुनर्विलोकन/11–12 में दिनांक 9–1–12 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन अग्राह्य किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आक्षेपित आदेश दिनांक 9–1–2012 द्वारा कलेक्टर ने पुनर्विलोकन आवेदन को इस आधार पर ग्राह्य किया है कि इस आवेदन से सीपीसी की धारा 114 और आदेश 47 नियम 1 के अनुसार पुनर्विलोकन हेतु आवश्यक कोई नई एवं महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य, अभिलेख से प्रकट भूल या गलती, या कोई अन्य पर्याप्त कारण, कलेक्टर के मूल आदेश दिनांक 22–2–11 के उपरान्त समक्ष नहीं आए हैं । कलेक्टर के मूल आदेश दिनांक 22–2–11 एवं पुनर्विलोकन आवेदन के अभिलेख में परिशीलन से यह बात पुष्ट होती है । वैसे अपने मूल आदेश दिनांक 22–2–11 से कलेक्टर ने प्रकरण में

अनुविभागीय अधिकारी को जॉच कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करने के लिए आदेशित किया है, जिस दौरान आवेदिका के पास अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रखने का अवसर भी उपलब्ध है, अतः उन्हें इस प्रकम पर कलेक्टर के समक्ष पुनर्विलोकन हेतु या राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी हेतु आवेदन लगाने की आवश्यकता नहीं थी ।

4/ उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के प्रकाश में और आधार पर यह निगरानी अस्वीकार करके समाप्त की जाती है ।

आदेश पारित ।
प्रकरण समाप्त ।
पक्षकारगण एवं कलेक्टर पन्ना सूचित हो ।
अभिलेख वापस हो ।
दा0द0 हो ।

2.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर